भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 7, मार्च, 2006

सं. 301–34/2005–इको.–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदेश, "दूरसंचार टैरिफ (बयालीसवाँ संशोधन) आदेश 2006 (2006 का 1) कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, जिसे यहां इसके बाद दूरसंचार टैरिफ आदेश कहा जाएगा, के खण्ड 7 (संसूचित करने की आवश्यकता) के भाग–III में उपखण्ड (i) और उसमें दी गई सामग्री के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(i) सभी सेवा प्रदाता इस आदेश के अन्तर्गत पहली बार विनिर्दिष्ट किए जाने वाले टैरिफ और बाद में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों को संसूचित करने की आवश्यकता का अनुपालन करेंगे।

बशर्ते कि टेलीकॉम एक्सेस प्रदाता द्वारा कारपोरेट, छोटे तथा मझोले उद्योगों, संस्थानों आदि जैसे थोक ग्राहकों को या तो निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस प्रदाता तथा ऐसे थोक ग्राहकों के बीच विचार–विमर्श के आधार पर

प्रस्तावित टैरिफ योजनाओं के मामले में खण्ड 2 के उपखण्ड (एल) में यथानिर्धारित संसूचित करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

बशर्ते कि थोक ग्राहकों के लिए ऐसी टैरिफ योजनाओं के संबंध में सभी सेवा प्रदाता प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7 दिन के भीतर तीन महीने में योजनाओं की संख्या तथा उनका लाभ उठाने वाले थोक ग्राहकों के बारे में इस प्रमाण–पत्र के साथ कि पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान थोक ग्राहकों के लिए टैरिफ योजनाएं सभी प्रकार से विनियामक सिद्धांतों, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आईयूसी का अनुपालन, गैर भेदभावपूर्ण व्यवस्था तथा नॉन–प्रेडेशन भी शामिल है, के अनुरूप है, प्राधिकरण की सूचना तथा रिकॉर्ड के लिए एक संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं।"

2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश के खण्ड 7 (रिपोर्टिंग आवश्यकता) में खण्ड III के अंतर्गत उपखण्ड (viii) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएः–

"(viii) किसी भी एक समय एक सेवा प्रदाता द्वारा पच्चीस से अधिक टैरिफ योजनाएं जारी नहीं की जानी चाहिए। इसमें पोस्ट–पेड एवं प्री–पेड दोनों टैरिफ योजनाएं शामिल हैं। यह पच्चीस टैरिफ योजनाओं की अधिकतम सीमा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पेशकश की जाने वाली टैरिफ योजनाओं और थोक ग्राहकों के लिए टेलीकॉम एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली टैरिफ योजनाओं पर लागू नहीं होगी।"

3. सामान्यः–

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार

(राकेश कक्कड़)
कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार (बी एण्ड सीएस)

<u>अनुबंध 'क'</u>

व्याख्यात्मक ज्ञापन

टेलीकॉम टैरिफ आदेश के मौजूदा उपबंधों के अनुसार, सभी टैरिफ योजनाओं को उनको लागू करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उन्हें सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण के पास दायर करना अपेक्षित है। इसके अलावा, किसी भी एक समय में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा 25 योजनाओं के अधिक योजनाओं की पेशकश नही की जाएगी। इसमें पोस्ट–पेड तथा प्री–प्रेड टैरिफ योजनाएं शामिल हैं।

2. यह देखते हुए एसएमईएस तथा कारपोरेट हाई प्रोफाइल सब्सक्राइबर हैं और उनके पास सेवा प्रदाताओं से मोलभाव की सबसे अच्छी शक्ति है, कुछ सेवा प्रदाताओं ने कारपोरेट तथा एसएमईएस (लघु एवं मध्यम उपक्रमों) के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले टैरिफ योजनाओं के मामले में टैरिफ योजनाओं की संख्या से संबंधित मौजूदा अधिकतम सीमा (25) से तथा उन्हें संसूचित करने की आवश्यकता, से बाहर रखने का प्राधिकरण से अनुरोध किया था।

3. टेलीकॉम एक्सेस प्रदाताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से एक सीमित परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श करने के बाद, प्राधिकरण ने रिपोर्ट करने की आवश्यकता तथा निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में किसी थोक ग्राहक को पेशकश की गई टैरिफ योजनाओं के संबंध में अथवा एक्सेस प्रदाता तथा ऐसे थोक ग्राहक के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप पेश टैरिफ योजनाओं के मामले में अधिकतम संख्या में छूट देने का विनिश्चय किया है। ऐसी टैरिफ योजनाएं विशिष्ट सेगमेंट में होती हैं और इनसे व्यक्तिगत ग्राहकों को पेशकश की गई टैरिफ योजनाएं प्रभावित होने की संभावना नहीं है। सामान्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता से ऐसी टैरिफ योजनओं को शामिल न करने से व्यक्तिगत ग्राहकों, जो एक ऐसी श्रेणी है, जिसपर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, के टैरिफ पर अधिक

निगरानी रखने का प्राधिकरण को ज्यादा मौका मिलेगा। दूरसंचार टैरिफ आदेश में इस संशोधन के लागू होने के बाद, सात दिनों के भीतर टैरिफ रिपोर्ट करने की आवश्यकता, ऐसे थोक ग्राहकों को एक्सेस प्रदाताओं द्वारा पेशकश की गई टैरिफ योजनाओं के संबंध में लागू नहीं होगा। बहरहाल, ऑपरेटरों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद सात दिनों के भीतर तीन महीनों में प्राधिकरण को योजनाओं की संख्या के बारे में तथा इनका उपयोग करने वाले थोक ग्राहकों का संक्षिप्त ब्यौरा देना होगा, जिसमें साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान थोक ग्राहकों का पेशकश की गई टैरिफ योजनाएं प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए विनियामक सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

4. थोक ग्राहकों से संबंधित टैरिफ योजनाएं टैरिफ योजनाओं की मौजूदा अधिकतम सीमा (25) से बाहर रखी गई हैं। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि उक्त छूट किसी समूह, संस्थान अथवा संगठन के भाग के रूप में व्यक्तिगत ग्राहकों को प्रस्तुत टैरिफ के संबंध में तब तक लागू नहीं होगी जबतक इसे किसी निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में अथवा एक्सेस प्रदाता तथा थोक ग्राहक के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जाता है और ऐसी योजनाओं से संबंधित बिल ऐसे थोक ग्राहकों के नाम में नहीं होते हैं और जिनका वास्तविक भुगतान ऐसे थोक ग्राहक द्वारा किया जाता है।

5. इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा पेश टैरिफ योजनाओं में टैरिफ योजनाओं की अधिकतम संख्या से छूट जारी रहेगी जिसे इस प्राधिकरण के दिनांक 19.9.2002 के पहले के पत्र सं. 301–6/2002–इको के द्वारा संसूचित किया गया था।